

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022

दिनांक 30/07/2025

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्या:41/छ:-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यो एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 29.07.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर में फर्जी तरीके से मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक दीन दयाल पाण्डेय मय हमराह थाना कोतवाली जनपद- गाजीपुर द्वारा महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर के प्रधानाचार्य डा0 श्री आनन्द मिश्रा पुत्र शम्भूनाथ मिश्र निवासी 18/477, सेक्टर 18, इन्दिरा नगर, जनपद लखनऊ द्वारा सूचना दिया गया कि एक व्यक्ति चिकित्सालय मे फर्जी तरीके से मेडिकल प्रमाण पत्र बना रहा है तथा उसके पास से मुख्य चिकित्साधिकारी एवं डा० धनंजय कुमार वर्मा (सहायक आचार्य, मेडिसिन विभाग) का हस्ताक्षर एवं मुहर सहित फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है । इस सूचना पर चौकी प्रभारी उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह चीता मोबाइल के तत्काल मौके पर पहुंच कर अभियुक्त रवि सिंह पुत्र गंगा सागर सिंह निवासी मिश्रबाजार, थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी व प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली, गाजीपुर पर मु0अ0सं0 570/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम पता-

1.रवि सिंह पुत्र गंगा सागर सिंह निवासी मिश्रबाजार, थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 570/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर ।

2. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा जयमठिया बाबा व काली माता मन्दिर से घण्टा चोरी करने वाले 02

नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक दीन दयाल पाण्डेय मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 567/2025 धारा 305(D) बी0एन0एस0 से संबंधित वांछित 02 नफर अभियुक्तगण 1. रमेश बिन्द पुत्र स्व0 जतूनी बिन्द निवासी ग्राम खिदराबाद थाना कोतवाली जिला गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष । 2 .श्रवण यादव पुत्र बिहारी यादव निवासी ग्राम लोकवापुर अन्धऊ थाना कोतवाली जिला गाजीपुर उम्र करीब 36 वर्ष को सुखदेवपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया । जिनके पास से जयमठिया बाबा व काली माता मन्दिर में टंगा घण्टा दो अदद घंटा टुटा हुआ बरामद हुआ । मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी के घण्टे के बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी की गयी । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता -

- 1.रमेश बिन्द पुत्र स्व0 जतूनी बिन्द निवासी ग्राम खिदराबाद थाना कोतवाली, गाजीपुर उम्र करीब 23 वर्ष
- 2.श्रवण यादव पुत्र बिहारी यादव निवासी ग्राम लोकवापुर अन्धऊ थाना कोतवाली,गाजीपुर उम्र करीब 36 वर्ष।।

बरामदगी का विवरण

- 1.02 अदद चोरी का घण्टा टूटा हुआ

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास -

- 1.मु0अ0सं0 567/2025 धारा 305(D),317(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

3. थाना नगसर हाल्ट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 41/2025 धारा 64(1) बीएनएस व 5J(2)/5L/6 पाक्सो एक्ट में वांछित 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.07.2025 को थानाध्यक्ष नगसर हाल्ट मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 41/2025 धारा 64(1)बीएनएस व 5J(2)/5L/6 पाक्सो एक्ट में वांछित बाल अपचारी को मुकदमा उपरोक्त में अभिरक्षा में लिया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभिरक्षा बाल अपचारी -

01 नफर

आपराधिक इतिहास - मु0अ0सं0 41/2025 धारा 64(1)बीएनएस व 5J (2)/5L/6 पाक्सो एक्ट थाना नगसर हाल्ट जनपद गाजीपुर

4. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा महिला का अपहरण करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.07.2025 को चौकी शाहनिन्दा प्रभारी उ0नि0 श्री हरीश चन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 338/2024 धारा 137(2)/65(1)/87/बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र विनोद यादव निवासी शाहनिन्दा वार्ड नंबर 15/22 कस्बा व थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर जो काफी दिनों से फरार चल

रहा था जिसे आज दिनांक 29.07.2025 को युसुफपुर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अभिषेक यादव पुत्र विनोद यादव निवासी शाहनिन्दा वार्ड नंबर 15/22 कस्बा व थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर उम्र-25 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 338/2024 धारा 137(2)/65(1)/87/बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

5. थाना सादात पुलिस द्वारा 01अदद नाजायज तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.07.2025 को उ0नि0 हरिहर प्रसाद मिश्र मय हमराह द्वारा चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति के दौरान मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मरदापुर मोड़ सादात से 01 नफर अभियुक्त को 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1. अक्कू राम पुत्र लक्ष्मण राम निवासी सरैया थाना सादात जनपद गाजीपुर उम्र 24 वर्ष बरामदगी - एक अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 05/2021 धारा 379, 411 भादवि थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 06/2021 धारा 41, 411, 413, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना शादियाबाद जनपद गजीपुर
3. मु0अ0सं0 64/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सादात जनपद गजीपुर
4. मु0अ0सं0 217/2021 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि थाना सादात जनपद गजीपुर
5. मु0अ0सं0 243/2021 धारा 302, 436, 506 भादवि थाना सादात जनपद गजीपुर
6. मु0अ0सं0 158/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सादात जनपद गजीपुर
7. मु0अ0सं0 03/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सादात जनपद गजीपुर
8. मु0अ0सं0 140/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सादात जनपद गजीपुर

6. थाना नन्दगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 214/2025 धारा-105,115(2),191(2),118(1), 3(5), 61(2) बी0एन0एस0 से सम्बंधित 05 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार ।

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (04 अदद लाठी) बरामद ।

सक्षिप्त विवरण - दिनांक- 26.07.2025 को थाना नन्दगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम आलमपुर में जमीन सम्बन्धित विवाद को लेकर अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर झगड़ा करते हुए लाठी एवं डण्डों से मारपीट की गई थी।

जिसमें मारपीट के दौरान रामा बिन्द पुत्र स्व० नाथा बिन्द को गम्भीर चोट आने के कारण दौराने ईलाज मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना नन्दगंज पर मु०अ०सं० 214/2025 धारा-191(2), 115(2), 118(1), 105, 3(5), 61(2) बी०एन०एस० का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 29.07.2025 को उ०नि० श्री राजकुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामित 05 नफर अभियुक्त गण 1. बोधन कुमार, 2. ज्ञान प्रकाश उर्फ गेनी, 3. राजेश बिन्द, 4. निरंजन बिन्द व 5. रामकिशुन बिन्द समस्त निवासीगण ग्राम आलमपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर को रेलवे स्टेशन नन्दगंज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. बोधन कुमार पुत्र रामकिशुन बिन्द नि० ग्राम आलमपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष
2. ज्ञान प्रकाश उर्फ गेनी पुत्र शिवबचन नि० ग्राम आलमपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 25 वर्ष
3. राजेश बिन्द पुत्र रामकिशुन बिन्द निवासी ग्राम आलमपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 34 वर्ष
4. निरंजन बिन्द पुत्र रामकिशुन बिन्द नि० ग्राम आलमपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 19 वर्ष
5. रामकिशुन बिन्द पुत्र स्व० विश्वनाथ बिन्द नि० ग्राम आलमपुर थाना नन्दगंज, गाजीपुर उम्र करीब 70 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 214/2025 धारा-191(2), 115(2), 118(1), 105, 3(5), 61(2) बी०एन०एस० थाना नन्दगंज, गाजीपुर

बरामदगी - घटना में प्रयुक्त 04 अदद लाठी (03 अदद बाँस की व 01 अदद अन्य लकड़ी की)

गिरफ्तारी का स्थान - नन्दगंज रेलवे स्टेशन के पास थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

07. थाना बहरियाबाद पुलिस टीम द्वारा मु०अ०सं० 133/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस से

सम्बन्धित वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 29.07.2025 को उ०नि० राजेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 133/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को जरिये मुखबिर सूचना के आधार पर अभियुक्त 1.आशीष कुमार पुत्र रामप्रकाश सोनकर निवासी ग्राम भाला बुजुर्ग थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर को हाजीपुर पुलिस के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता:-

1.आशीष कुमार पुत्र रामप्रकाश सोनकर निवासी ग्राम भाला बुजुर्ग थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर ।

आपराधिक इतिहास—

1.मु0अ0सं0 133/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर ।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर